अध्याय 2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

देश में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 1987-88 तक की अवधि को कवर करते हुए संघ सरकार की 1989 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) सं 7 में तथा पुन: समीक्षा 1988-89 से 1993-94 तक की अवधि को कवर करते हुए 1995 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) सं 19 में की गई थी।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के विचार से की गई थी:

- ओएमसीज, उपभोक्ताओं, भारत सरकार तथा अपस्ट्रीम कम्पनियों पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव; एवं
- वह सीमा जिस तक ओएमसीज में प्रचालनों की वास्तविक लागत मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किये जाने वाले निर्धारित प्रतिमानों से मेल खाती है तथा भारत सरकार द्वारा गठित हानि सहभाजन तंत्र की प्रभावशीलता।

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने विनियमित उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों तथा ओएमसीज यथा इन्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के परिणामी कम वसूली दावों की जॉच शामिल है। सभी तीन ओएमसीज़ के छह चयनित रिफाइनरियों (एचपीसीएल रिफाइनरी, मुम्बई, स्थापना-1954; बीपीसीएल रिफाइनरी, मुम्बई, स्थापना-1955; आईओसीएल रिफाइनरी, गुजरात, स्थापना-1965; आईओसीएल रिफाइनरी, हल्दिया, स्थापना-1974; आईओसीएल रिफाइनरी, बोगॉइगॉव, स्थापना-1979; आईओसीएल रिफाइनरी, पानीपत, स्थापना-1998); के निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों तथा क्षतिपूर्ति की कम वसूली से संबंधित दस्तावेजों जो उपलब्ध कराए गए थे, की भी जॉच एमओपीएनजी/पेट्रोलियम प्लांनिंग एण्ड एनासिसिस सेल (पीपीएसी) तथा एमओएफ में की गई थी। लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि 2007-08 से 2011-12 तक है।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्त्रोत निम्नलिखित थे:

- मूल्य निर्धारण सूत्र के निर्धारण हेतु विचार किये जाने वाले प्रतिमानों में दर्शाये गए लागत के तत्त्व, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के संबंध में पीपीएसी द्वारा समय-समय पर ओएमसीज को अनुदेश।
- पैट्रोलियम उत्पादों को विनियंत्रित करने के लिए दीर्घावधि योजना में गठित किये गए मील के पत्थर
- पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थाई समिति सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशें।
- सार्वजनिक क्षेत्र अपस्ट्रीम कम्पनियों, ओएमसीज तथा सरकार के बीच हानि सहभाजन के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देश।
- एमओपीएनजी के साथ ओएमसीज द्वारा किये गए एमओयूज में निर्धारित मुख्य निष्पादन लक्ष्य।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

एमओपीएनजी, एमओएफ, पीपीएसी तथा ओएमसीज के साथ 6 सितम्बर 2012 को एक एन्ट्री कान्फ्रेस आयोजित किया गया था जहॉ लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति पर चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा सितम्बर, 2012 से फरवरी, 2013 तक की गई थी। पैट्रोलियम उत्पादन के मूल्य निर्धारण से संबंधित दस्तावेज जो उपलब्ध कराए गए थे, जैसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों की सिफारिशें, एमओपीएनजी/पीपीएसी तथा एमओएम में इन सिफारिशों का अनुमोदन तथा कार्यान्वयन, एमओपीएनजी द्वारा अपनाया गया कम वसूलियों का भार सहभाजन तंत्र,कम वसूलियों के अनुमोदन की प्रणाली तथा पीपीएसी में किये जाने वाले नियंत्रणों की जॉच की गई थी। ओएमसीज में विनियमित उत्पादों के मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों, रिफाइनरियों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा विपणन की लागत, एमओपीएनजी के साथ समझौता ज्ञापन, ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत किए गए कम वसूली के दावे तथा ओएनसीज के बोर्ड कार्यवृत्तों की भी समीक्षा की गई थी। विस्तृत अध्ययन के लिए छह रिफाईनरियों अर्थात बीपीसीएल (मुम्बई) तथा एचपीसीएल (मुम्बई) प्रत्येक में से एक रिफाईनरी तथा आईओसीएल (कोयाली, पानीपत, हल्दिया तथा बोगॉइगॉव) से चार रिफाईनरियों, का एक नमूना चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहले जुलाई, 2013 में हुई पूर्व एग्ज़िट कांफ्रेस में तथा उसके पश्चात् 21 फरवरी 2014 को हुई एग्ज़िट कांफ्रेस में ओएमसीज़, पीपीएसी एवं एमओपीएनजी के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

2.5 अभिस्वीकृति

हम सूचना, अभिलेख, स्पष्टीकरण तथा संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चाएँ उपलब्ध कराने के लिए एमओपीएनजी, पीपीएसी, एमओएफ तथा ओएमसीज द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं जिसने लेखापरीक्षा पूरा करना सरल बनाया।

2.6 लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संरचना

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत अध्याय 3 में सारांशीकृत किया गया है:

- अध्याय 3.1-तेल विपणन कम्पनियों पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव;
- अध्याय 3.2 उपभोक्ताओं पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव;
- अध्याय 3.3 अपस्ट्रीम कम्पनियों और भारत सरकार पर मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रभाव।